<u>प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र, भा.कृ.अनु.प. - भा.प.चि.अनु.सं., पुणे में दिनांक 3 जून 2019 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन</u>

भा.कृ.अनु.प .– भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के पुणे में स्थित प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र (टी.ई.सी.-आई.वी.आर.आई.) में दिनांक 3 जून 2019 को एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) से संबन्धित कृषि अनुसंधान एवं सिक्षा विभाग (डेर) के हिन्दी अनुभाग में कार्यरत श्री दीपक कुमार खत्री (वरिष्ठ अनुवादक अधिकारी) ने विशेषज्ञ के रूप में केंद्र के अधिकारियों को मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र प्रभारी एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, डॉ .भिलेगावंकर एवं समिति के सदस्य सचिव श्री भास्कर राव ने प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र के दिन-प्रतिदिन के कार्यालय के काम में हिंदी के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी। तत्पश्चात श्री खत्री ने राजभाषा अधिनियम धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम,1976 के नियम-9 (हिंदी में प्रवीणता) एवं नियम-10 (हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान) के बारें में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट में सही, सटीक एवं तथ्यात्मक आँकड़े भरने की जानकारी भी दी। श्री खत्री ने केंद्र के पिछले तिमाही का हिन्दी कार्य में किये गए पत्राचार एवं अन्य कार्य की समीक्षा करते हुए भविष्य में राजभाषा अधिनियम धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी कागजातों को हिन्दी या द्विभाषी रूप में ही जारी करने का सुझाव दिया है। इस हिन्दी कार्यशाला की बैठक में केंद्र के वैज्ञानिक डॉ एस.के. दस एवं डॉ. एच.पी.ऐथल तथा श्री डी. भास्कर राव, तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे।